कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)



Employees' Provident Fund Organisation (Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/Head Office

भविश्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

BhavishyaNidhiBhawan, 14- BhikaijiCama Place, New Delhi – 110066

संख्या: एच.आर.डी./1(34)2014/7th CPC/Vol.II /7435

Ganian jo JUL 2017

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (स्थानीय प्रशासन) निदेशक, प.दी.उ.रा.सा.सु.अ. (PDUNASS) सभी प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : Revised rates of allowances of the Seventh Central Pay Commission – regarding.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से जारी Gazette Notification No.11-1/2016-IC दिनांक 06.07.2017 की प्रति उचित कार्यवाहीं / लागू करने हेतु सलंग्न है ।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है)

भवदीय.

प्रति : सलंग्न

(एस. नुल्ली)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (एच.आर.डी)

प्रतिलिपि:

- 1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
- 2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी सचिव
- 3. मुख्य सतकर्ता अधिकारी के निजी सचिव / सभी उप निदेशक, सतकर्ता
- 4. मुख्य अभियंता के निजी सचिव
- 5. प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
- 6. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
- 7. मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
- महासचिव, ई.पी.एफ. ऑफिसर्स एसोसिएशन, लुधियाना
- 9. महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. स्टाफ फेडरेशन, हैदराबाद
- 10. महासचिव, आल इंडिया ई.पी.एफ. एस.सी/एस.टी फेडरेशन, नई दिल्ली
- 11. क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

12. गार्ड फाइल

(एम. नुल्ली)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आय्क्त-I (एच.आर.डी)



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

No. 169]

वित्त मंत्रालय

(ब्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

सं.11-1/2016-आईसी.—भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं. 1/1/2013-ई.III(ए) द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। 08 सितम्बर, 2015 के संकल्प संख्या-1/1/2013-ई.III(ए) के माध्यम से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ा दी गयी थी। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने तारीख 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट उसके निर्देश निबंधन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की थी।

- 2. सरकार ने तारीख 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 द्वारा भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) को, भत्ते संबंधी समिति को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया था। उसने यह भी विनिश्चय किया था कि समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम विनिश्चय किए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर ऐसे किया जाता रहेगा मानो 1 जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षित ही न किया गया हो।
- 3. उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल, 2017 को प्रस्तुत की। सरकार ने विचार करने के पश्चात्, भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें परिशिष्ट I में यथा-विनिर्दिष्ट 34 उपांतरणों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया है। भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के विनिश्चय को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।
- 4. भारतीय नौसेना को दिए गए कुछ भत्तों, जिनका भुगतान इस समय भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाता है, का उल्लेख सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि ऐसे भत्तों का, जो भारतीय नौसेना के लिए अनुज्ञेय हैं, भुगतान भारतीय नौसेना के अनुरूप भारतीय तटरक्षक बल को भी किया जाएगा।
- 5. रेल मंत्रालय से संबंधित 12 चालन भत्तों के संबंध में दरें, रेल मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की सहमित से अधिसूचित की जाएंगी।
- 6. भत्तों की पुनरीक्षित दरें 01 जुलाई, 2017 से अनुज्ञेय हैं।

4211 GI/2017

(1)

7.7.2017 and orange



आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित उपांतरणों के साथ सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत भत्तों की सूची

(1)	(2)	(3)	(4)					
क्र. सं.	भत्ते का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार द्वारा स्वीकृत उपांतरण					
1.	अंटार्कटिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा।	जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गई। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी।					
2.	ब्रेकडाउन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 - ₹675 प्रति माह की गईं।					
3.	रोकड़ संभाल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं: (₹ प्रति माह) संभाली गए रोकड़ छठे केन्द्रीय संशोधित दरें की मासिक औसत वेतन आयोग की दरें <= 5 लाख 230 - 600 700 5 लाख से अधिक 750 - 900 1000					
4.	कोयला पायलट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करवे ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गईं।					
5.	साईकिल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	स सशाधित करक र34 प्रांत ाट्रेप का गई। बरकरार रखा गया। डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गईं। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाए जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।					

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। सभी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।	लेवल-12 - 13 के लिए यात्रा प्रभार '50 किमी तक गैर- एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' और लेवल 14 और ऊपर के लिए' 50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके 'सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार' किया गया। रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
7.	नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)	बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनाए रखी जाए।	₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह की गई।
8.	नियत मौद्रिक प्रतिपूर्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिररिक्त पद भत्ता' लागू होगा।	मिलाया न जाएगा और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरा रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से ₹54 की गईं।
9.	अंत्येष्टि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	नाम में बदलाव के साथ 'अंत्येष्टि व्यय' के रूप में बरकरा रखा जाना है। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गईं।
10.	अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर "राष्ट्रीय अवकाश भत्ता" लागू होगा।	मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरा रखा गया। आसूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
11.	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।	मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स क आर1एच3 कोष्ठिका (लेबल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेबल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) व अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाव भत्ता मिलता रहेगा।
12.	मकान किराया भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखि संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं: (i) मकान किराया भत्ता एक्स श्रेणी (50 लाख औ उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 30% वाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कर



(1)	(2)	(3)	(4)
			आबादी) के शहर के लिए 10% की दर से क्रमश: ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। (ii) महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: 27%, 18% और 9% तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक हो जाने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का क्रमश: 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।
13.	किट रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एसपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।
14.	प्रक्षेपण अभियान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
15,	नर्सिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया।	विद्यमान दरों को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹4800 प्रति माह से संशोधित करके ₹7200 प्रति माह की गईं।
16.	ऑपरेशन थिएटर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹360 प्रति माह से संशोधित करके ₹540 प्रति माह की गईं।
17.	समयोपरि भत्ता	सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामले को छोड़कर शेष के लिए समाप्त कर दिया जाए।	मंत्रालयों/विभागों को 'प्रचालन स्टॉफ' की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।
18.	प्रफेशनल अपडेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक बढ़ाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाए। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
19.	अर्हता अनुदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव- प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि: (i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और (ii) बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 तक की जाएगी।

3	(2)	(3)	(4)
20.	राशन मनी भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए निःशुल्क राशन और राशन मनी भता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।	शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
21.	जीखिम भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गई।
52	सियाचिन भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच- मैक्स कोष्टिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।	दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
23.	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गई।
24.	बिशेष नियुक्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त कार्य भत्ता' लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान	सातबें केन्द्रीय बेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में सहायक सब इंस्पेक्टर (आरएम), सहायक सब इंस्पेक्टर (आरओ) और सब इंस्पेक्टर (आरएम) को शामिल किया गया।
25.	विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मनारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ता- I, II या III लागू होगा। विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन- पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ते का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
56.	विशेष ड्यूटी भता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से जिरा जाना चाहिए।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 14017/4/2005-एआईएस (II) के अनुसार 'अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' 25% की दर से दिया जाता है। विशेष ड्यूटी भत्ता 12.5% की दर से दिया जाता है। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। इन दोनों भत्तों अर्थात् 'अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' और 'विशेष ड्यूटी भत्ता' का वर्तमान की तरह क्रमश: 20% और 10% की संशोधित दरों से भुगतान जारी रहेगा।



(1)	(2)	(3)	(4)
27.	विशेष घटना/जांच/ सुरक्षा भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय में मामला पेश किया जाए।	विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 40% से संशोधित करके 55% और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 20% से संशोधित करके 27.5% किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के 20% की दर से प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एवं कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के प्रस्ताव की जांच करेगा।
28.	विशेष चालन स्टॉफ भत्ता	बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए।	इस भत्ते का नाम 'अतिरिक्त भत्ता' बना रहेगा।
29.	तकनीकी भत्ता	तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-II और अहंता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अहंता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	₹3000 प्रति माह और ₹4500 प्रति माह की दर से तकनीकी भत्ते (स्तर – I और II) की विद्यमान प्रणाली 31.03.2018 तक जारी रखी जाए। बदलती रक्षा आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों, बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों को सहयोजित करके अर्हता अनुदान (रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन) के साथ-साथ तकनीकी भत्ते (स्तर–I और II) के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा 31.12.2017 से पहले पूरी की जाए। पाठ्यक्रमों की समीक्षा के बाद ही तकनीकी भत्ते (स्तर–II) को 31.03.2018 से आगे जारी रखा जाए।
30.	प्रशिक्षण भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया जाए। कुछ और वर्गों पर लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी को उसके संपूर्ण करियर के दौरान अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा।	5 वर्ष की अधिकतम सीमा को हटाया जाएगा। कार्यकालों के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।
31.	यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 से 8 हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे। यात्रा पात्रताओं के लिए रक्षा बलों के लेवल 5क को लेवल 6 में मिला दिया जाएगा। विद्यमान प्रणाली को रेल मंत्रालय में जारी रखा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4) रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं: (₹ प्रति माह)					
32.	कोषागार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।						
			संभाली गए रोकड़ की मासिक औसत राशि	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की दरें	संशोधित दरें			
			<= 5 লাজ	230 - 600	700			
			5 लाख से अधिक	750 - 900	1000			
33.	वर्दी भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका वार्षिक भुगतान किया जाए।	संशोधनों के साथ स्वीकृत की गईं: िनम्निलिखित वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें: (i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक – ऑप और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमश: ₹2 प्रतिवर्ष और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक किया जाएगा। (ii) नर्स – ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक किया जाएगा। आब्रजन ब्यूरो की सभी जांच चौकियों पर भी लागुजाए।					
			(ii) नर्स – ₹1800 ! किया जाएगा। आब्रजन ब्यूरो की सक					

परिशिष्ट II

भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.सं.	भत्ते का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार का निर्णय
1	दुर्घटना भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
2	कार्यकरण भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त पद भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
3	वैमानिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
4	एअर डिस्पेच वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
5	एअर स्टूअर्ड भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
6	उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
7	किलोमीटरेज के बदले भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।



(1)	(2)	(3)	(4)
8	रनिंग रूम सुविधाओं के बदले भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
9	वार्षिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% तक वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
10	अंटार्कटिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाएगा।	जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से बाहर रखा जाए और इसका भुगतान प्रति दिन आधार पर किया जाए। दरें गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1125 प्रति दिन से संशोधित करके ₹1500 प्रति दिन और ₹1688 प्रति दिन से संशोधित करके ₹2000 प्रति दिन की गईं। दल के नेता को गर्मियों और सर्दियों में क्रमश: ₹1650 प्रति दिन और ₹2200 प्रति दिन की दर से इतर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी।
11	सहायक रोकड़िया भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
12	एएसवी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
13	प्रतिकूल जलवायु भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में मिला दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
14	भूटान प्रतिपूरक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
15	बायलर वॉच कीपिंग भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया गया। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
16	पुस्तक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
17	विश्राम भंग भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
18	ब्रेकडाउन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹120 – ₹300 प्रति माह से संशोधित करके ₹270 – ₹675 प्रति माह की गईं।
19	ब्रीफकेस भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
20	शिविर भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
21	कैंटीन भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)				
22	देखभाल भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।"	स्वीकृत				
23	रोकड संभाल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	रोकड़-संभाल और कोषागार भत्ते में मिला दिया गया और दरें निम्नानुसार संशोधित की गईं: (₹ प्रति माह)				
			संभाली गए छठे केन्द्रीय संशोधित रोकड़ की बेतन आयोग की दरें मासिक औसत दरें राशि				
			<= 5 लाख 230 - 600 700				
			5 लाख से 750 - 900 1000 अधिक				
24	बाल शिक्षा भत्ता	बरकरार रखा जाए। भुगतान प्रक्रिया सरल बनाई जाए।	स्वीकृत				
25	विद्रोह प्रतिरोध भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत				
26	वर्गीकरण भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत				
27	वस्त्र भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल कर दिया जाए।	स्वीकृत				
28	कोयला पायलट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। दरें प्रथम ट्रिप के लिए ₹45 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹102 और उसके बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए ₹15 प्रति ट्रिप से संशोधित करके ₹34 प्रति ट्रिप की गईं।				
29	'कोबरा' भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए	स्वीकृत				
30	कमान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत				
31	कमांडो भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत				
32	वाणिज्य भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत				
33	क्वार्टर के बदले प्रतिपूर्ति	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं।	स्वीकृत				
34	प्रतिपूरक (निर्माण अथवा सर्वेक्षण) भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत				

2	
N	10

(1)	(2)	(3)	(4)
35	मिश्रित वैयक्तिक साज-संभाल भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। 50% की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
36	कोंडीमेंट भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
37	निरंतर उपस्थिति भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
38	वाहन भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
39	कुकिंग अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
40	जीवन यापन भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
41	न्यायालय भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
42	साईकिल भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। डाक विभाग और रेलवे के लिए ₹90 प्रति माह की विद्यमान दरें दुगुनी करके ₹180 प्रति माह की गईं। व्यय विभाग के अनुमोदन से अन्य मंत्रालयों/विभागों में बरकरार रखा जाएगा जहां किसी विशेष वर्ग के स्टॉफ के लिए कार्य संबंधी औचित्य मौजूद हो।
43	दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। सभी प्रावधान रेल कार्मिकों पर भी लागू होंगे।	लेवल-12 - 13 के लिए यात्रा प्रभार '50 किमी तक गैर- एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके '50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' और लेवल 14 और ऊपर के लिए' 50 किमी तक एसी टैक्सी प्रभार' से संशोधित करके 'सरकारी कार्य के अनुरूप वास्तविक व्यय के अनुसार एसी टैक्सी प्रभार' किया गया। रेल मंत्रालय में दैनिक भत्ते की विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।
44	विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
45	महंगाई भत्ता (डीए)	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं था।
46	सिविल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत .
47	रक्षा कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 गुणे की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
48	डेस्क भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
49	वियोजन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत .
50	आहार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत

(4)	स्वीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्बीकृत	स्बीकृत	₹500 की विद्यमान दर संशोधित करके ₹1000 प्रति माह की गई।	मिलाया न गया और एक पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दरों को 2.25 से गुणा किया गया। विद्यमान दरें संशोधित करके पूरी बीट के लिए ₹50 से बढ़ाकर ₹115 और बीट साझा करने के लिए ₹24 से बढ़ाकर ₹54 की गई।	स्वीकृत	स्वीकृत
(3)	बरकरार रंखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त पद भता" लागू किया जाए।	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	समाप्त कर दिया जाए।	समाप्त कर दिया जाए।	समाप्त कर दिया जाए।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भता" लागू होगा।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू होंगे।	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	बरकरार रखा जाए। यथा-स्थिति बनायी रखी जाए।	इसे एक पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव- प्रस्तावित 'अतिरिक्त पद भत्ता' लागू होगा।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "आतिरिक्त कार्य भता" लागू होगा।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित "आतिरिक्त कार्य भता" लागू होगा।
(2)	गोताखोरी भता, डिप मनी और परिचर भता	दोहरा प्रभार भता	शैक्षिक रियायत	बिजली भत्ता	मंत्रिमंडल सचिव के लिए सत्कार भत्ता	भारतीय रेलवे में सत्कार भत्ता	अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता	परिवार आवास भत्ता (एफएए)	परिवार मकान किराया भत्ता	परिवार नियोजन भत्ता	फील्ड एरिया भता	नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए)	नियत मीद्रिक प्रतिपूर्ति	फ्लैंग स्टेशन भत्ता	उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भता
(1)	51	52	53	54	55	99	22	58	59	09	61	62	63	64	65



(1)	(2)	(3)	(4)
66	उड़ान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
67	उड़न दस्ता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
68	फ्री फॉल जम्प इन्स्ट्रक्टर भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
69	अंत्येष्टि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	नाम में बदलाव के साथ 'अंत्येष्टि व्यय' के रूप में बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹6000 से संशोधित करके ₹9000 की गईं।
70	घाट भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
71	अच्छी सेवा/अच्छा आचरण/बैज वेतन	बरकरार रखा जाए। इसमें 2.25 के गुणांक से वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
72	केश कर्तन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे "मिश्रित व्यक्तिगत साज-संभाल भत्ते" में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
73	अक्षमता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
74	दुष्कर क्षेत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 के गुणांक से युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
75	हार्डलाइंग मनी अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। पूर्ण दर का भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए	स्वीकृत
76	मुख्यालय भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
77	स्वास्थ्य एवं मलेरिया भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
78	उच्च स्थान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
79	उच्चतर दक्षता भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए भाषा पुरस्कार अथवा सिविल कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा।	स्वीकृत
80	सिविल कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत

(4)	मिलाया न गया और पृथक् भत्ते के रूप में बरकरार रखा गया। आसूचना ब्यूरो (आई बी) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) में विद्यमान प्रणाली जारी रहेगी।	स्बीकृत	मंत्रालयी स्टॉफ को जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर1एच3 कोष्ठिका (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹4100 और लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹5300) के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/ रोगी देखभाल भत्ता मिलता रहेगा।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्निलेखित संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं: (i) मकान किराया भता एक्स श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 30%, बाई श्रेणी (5 से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए 20% और जेड श्रेणी (5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए 10% की दर से कमशः ₹5,400 प्रति माह, ₹3,600 प्रति माह और ₹1,800 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए। (ii) महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाने पर एक्स, बाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता संशोधित करके मूल वेतन का कमशः 27%, 18% और 9% तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक हो जाने पर एक्स, बाई और जेड श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता आगे संशोधित करके मूल वेतन का कमशः 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।	स्वीकृत	स्बीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
(3)	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू होगा।	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	बरकरार रखा जाए युक्तिसंगत बनाया गया। नई प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आर १एच3 कोष्ठिका के अनुसार भुगतान किया जाए। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता मंत्रालयी स्टॉफ को इस आधार पर स्वीकार्य हैं कि संपूर्ण अस्पताल क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा है। यह परम्परा समाप्त की जानी चाहिए और अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए जो लगातार और नेमी रूप में रोगियों के संपर्क में आते हैं।	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया जाए।	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	पृथक् भते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "प्रशिक्षण भता" लागू किया जाए।	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।
(2)	अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता	अवकाश आर्थिक प्रतिपूर्ति	अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता	भत्ता किराया	कुटीर भत्ता	जल सर्वेक्षण भत्ता	प्रारंभिक उपकरण भत्ता	अनुदेश भत्ता	इंटरनेट भत्ता
(1)	20	82	83	48	85	86	87	88	89



(1)	(2)	(3)	(4)	
90	अन्वेषण भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
91	द्वीप समूह विशेष ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत	
92	जज महाधिवक्ता विभागीय परीक्षा अवार्ड	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "रक्षा कार्मिकों हेतु उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन" लागू किया जाए।	स्वीकृत	
93	किलोमीटरेज भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बात के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहम अधिसूचित की जाएंगी।	
94	किट रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। नव-प्रस्तावित परिधान भत्ते में मिला दिया जाए।	विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के लिए परिधान भत्ते में मिला दिया गया और एसपीजी के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण में इसे ध्यान में रखा गया।	
95	भाषा भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	
96	भाषा अवार्ड	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	
97	भाषा ईनाम एवं भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
98	प्रक्षेपण अभियान भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।	
99	सावकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया जाए। यथोचित परिवर्तन करके एक अतिरिक्त नि:शुल्क रेलवे वारंट केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सभी कार्मिकों को दिया जाए।	सावकाश यात्रा रियायत के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें बगैर किसी परिवर्तन के स्वीकार की जाती हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौसेना के कार्मिक फील्ड ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किए जाते हैं, इसलिए अतिरिक्त नि:शुल्क रेलवे वारंट भारतीय तटरक्षक बल को नहीं दिया जाएगा।	
100	पुस्तकालय भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत	
101	मारकोस एंड चेरियट अलाउंस	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत	
102	पदक भत्ता	बरकरार रखा जाए।	स्वीकृत	
103	मेस भत्ता	"भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण" के अधीन "चल स्टॉफ" के लिए बरकरार रखा जाए और 50% की वृद्धि की जाए। नर्सिंग स्टॉफ के लिए इसे समाप्त किया जाए।	स्वीकृत	
104	महानगर भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
105	सड़क से यात्रा के लिए मील भत्ता	बरकरार रखा जाए।	स्वीकृत	

अधिसुचित की जाएंगी।



(1)	(2)	(3)	(4)	
123	आउट स्टेशन (रिलीविंग) भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।	
124	आउट-टर्न भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
125	समयोपरि भत्ता	सांविधिक प्रावधानों से शासित प्रचालन स्टॉफ और औद्योगिक कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाए।	मंत्रालयों/विभागों को 'प्रचालन स्टॉफ' की श्रेणी में आने वाले स्टॉफ की सूची तैयार करनी है। समयोपरि भत्ते की दरों में वृद्धि न की जाए।	
126	पैरा भत्ते	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत	
127	पैरा-जम्प अनुदेशक भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत	
128	संसद सहायक भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	
129	पीसीओ भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत	
130	स्नातकोत्तर भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	
131	प्रफेशनल अपडेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% बढ़ाया जाए। कुछ और वर्गों पर भीे लागू किया जाए।	परमाणु ऊर्जा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान जारी रखा जाएगा। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।	
132	परियोजना भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत	
133	अर्हता भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत	
134	अर्हता अनुदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर रक्षा कार्मिकों के लिए नव-प्रस्तावित उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन लागू होगा। तकनीकी भत्ते का स्तर-॥ और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें इन संशोधनों के साथ स्वीकार की जाती हैं कि: (i) इसमें स्तर-II के पाठ्यक्रम शामिल नहीं होंगे, और (ii) पाठ्यक्रमों की समीक्षा बाहरी पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित विशेषज्ञों को सहयोजित करके 31.12.2017 तक कर ली जाए।	
135	अर्हता वेतन	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 से गुणा करके बढ़ाया जाए।	स्वीकृत	

(1)	(2)	(3)	(4)
136	राजभाषा भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए नव प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" लागू किया जाए।	स्वीकृत
137	राजधानी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
138	राशन मनी भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन और	शांत क्षेत्रों में रक्षा बलों के अधिकारियों के लिए नि:शुल्क राशन का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा बलों के अधिकारियों को राशन मनी भत्ते का भुगतान जारी रहेगा। नकद राशि अधिकारियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।
		राशन मनी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान वापस लिया जाना चाहिए।	and the state of t
139	जलपान भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए।	स्वीकृत
140	किराया मुक्त आवास	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
141	सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार	बरकरार रखा जाए। इसे 2.25 के गुणांक में बढ़ाया जाए।	स्वीकृत
142	जोखिम भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 2.25 से गुणा किया गया। दरें ₹60 प्रति माह से संशोधित करके ₹135 प्रति माह की गई।
143	पोशाक भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
144	पोशाक रख-रखाव भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
145	बचत बैंक भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
146	सागर गमन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच2 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
147	गुप्त भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
148	जूता भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	स्वीकृत
149	आशुलिपि भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
150	शंटिंग भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।



(1)	(2)	(3)	(4)
151	सियाचिन भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। नव-प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स की आरएच-मैक्स कोष्ठिका के अनुसार लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹ 31500 और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹ 21000 की दर से भुगतान किया जाए।	दरें इस प्रकार संशोधित की गईं: लेवल 9 और उससे ऊपर के लिए ₹31500 से संशोधित करके ₹42500 प्रति माह, और लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹21000 से संशोधित करके ₹30000 प्रति माह।
152	क्वार्टर के बदले एकल भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। पात्र कर्मचारियों के लिए "अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए आवास" हेतु नव-प्रस्तावित प्रावधान लागू किए जाएं।	स्वीकृत
153	प्रसाधन साबुन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे मिश्रित वैयक्तिक साज-संभाल भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
154	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भत्ता	समाप्त कर दिया जाए	बरकरार रखा गया। विद्यमान दर को 1.5 से गुणा किया गया। दरें ₹7500 प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹11250 प्रति वर्ष की गईं।
155	नि:शक्त महिलाओं के लिए बाल देखभाल हेतु विशेष भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसमें 100% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
156	मुख्य सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा अधिकारियों को विशेष भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
157	विशेष नियुक्ति भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव-प्रस्तावित 'अतिरिक्त कार्य भत्ता' लागू होगा। विशेष नियुक्तियों पर तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को प्रदान किया जाए।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ मूल वेतन के 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते के लिए पात्र सूची में एएसआई (आरएम), एएसआई (आरओ) और एसआई (आरएम) को शामिल किया गया।
158	विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
159	विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया जाए। पात्र कर्मचारियों पर नव प्रस्तावित दुर्गम स्थल भत्ता-I, II या III लागू होगा। विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश कि विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ दुर्गम स्थल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के साथ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के तहत संशोधन-पूर्व दरों पर विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थान) भत्ता का लाभ लेने का अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा।
160	विशेष डीओटी वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)	
161	विशेष ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए मूल वेतन के 30 प्रतिशत की दर से और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 फरवरी, 2009 के का ज्ञा. सं. 14017/4/2005-एआईएस (II) के अनुसार 'अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पूर्वोत्तर संवर्ग के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' 25% की दर से दिया जाता है। विशेष ड्यूटी भत्ता 12.5% की दर से दिया जाता है। 0.8 के गुणांक द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। इन दोनों भत्तों अर्थात् 'अखिल भारतीय सेवा के पूर्वोत्तर संवर्गों के अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता' और 'विशेष ड्यूटी भत्ता' का भुगतान वर्तमान की तरह क्रमश: 20% और 10% की संशोधित दरों से जारी रहेगा।	
162	विशेष बल भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	ा स्वीकृत त	
163	विशेष घटना/जांच/ सुरक्षा भत्ता युक्तिसंगत बनाया गया। राजस्व विभाग को चाहिए कि विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करे और तत्पश्चात् उपयुक्त कोष्ठिका के अनुसार, जोखिम और कठिनाई भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत करे। विशेष सुरक्षा दल के शि उद्मूटी के लिए मूल वेत और गैर ऑपरेशनल इक् से संशोधित करके 27. राष्ट्रीय तकनीकी अन् कर्मचारियों को यह भ प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता सातवें केन्द्री निर्णय लिए जाने तक तदर्थ उपाय के रूप में गया था। तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय से वेतन आयोग की सिप प्रवर्तन निदेशालय वे कठिनाई आधारित भत्त संबंध में वित्त मंत्रालय		विशेष सुरक्षा दल के लिए विशेष सुरक्षा भत्ता ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के 40% से संशोधित करके 55% और गैर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए मूल वेतन के लिए 20% से संशोधित करके 27.5% किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के कर्मचारियों को यह भत्ता मूल वेतन के 20% की दर से प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक व्यय विभाग के अनुमोदन से एक तदर्थ उपाय के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया था। तदनुसार, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से प्रवर्तन निदेशालय से वापस लिया जाए। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जोखिम एव कठिनाई आधारित भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने वे संबंध में वित्त मंत्रालय को मामला प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते वे प्रस्ताव की जांच करेगा।	
164	विशेष एलसी गेट भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत	
165	विशेष एनसीआरबी वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
166	विशेष चालन स्टॉफ भत्ता	बरकरार रखा जाए। कुछ और वर्गों पर भी लागू किया जाए।	भत्ते का नाम 'अतिरिक्त भत्ता' बना रहेगा।	
167	विशेष वैज्ञानिक वेतन	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
168	विशेषज्ञ भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	
169	चश्मा भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत	
170	विभाजित ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत	



(1)	(2)	(3)	(4)
171	अध्ययन भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
172	पनडुब्बी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच1 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
173	पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच1 के अनुसार यथानुपात आधार पर किया जाए।	स्वीकृत
174	पनडुब्बी तकनीकी भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए।	स्वीकृत
175	निर्वाह भत्ता	बरकरार रखा जाए। यथास्थिति बनाए रखी जाए।	स्वीकृत
176	प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
177	सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारियों को सत्कार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
178	सुंदरबन भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल किया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।	स्वीकृत
179	प्रादेशिक सेना अधिदान	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। नव प्रस्तावित प्रादेशिक सेना भत्ते में मिला दिया जाए।	स्वीकृत
180	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत
181	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।	स्वीकृत

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)		(4)	
182	तकनीकी भत्ता	तकनीकी भत्ते के स्तर-I का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता रहेगा।	तकनीकी भत्ते (स्त 31.03.2018 तक	•	ो विद्यमीन प्रणाली
		तकनीकी भन्ते का स्तर-II और अर्हता अनुदान रक्षा कार्मिकों के लिए उच्चतर अर्हता प्रोत्साहन में मिला दिया जाए।	के लिए विशेषज्ञों सहयोजित करके उच्चतर अर्हता प्रो (स्तर-I और II) के पाठ्यक्रमों की सम् जाए। पाठ्यक्रमों की सर्म	श्यकताओं के साथ त , बाहरी पेशेवरों क अर्हता अनुदान (रक्ष त्साहन) के साथ-स पाठ्यक्रमों की समी नीक्षा 31.12.2017 ोक्षा के बाद ही तक से आगे जारी रखा ज	और शिक्षाविदों को । कार्मिकों के लिए । थ तकनीकी भत्ते क्षा की जाए। ' से पहले पूरी की नीकी भत्ते (स्तर–II)
183	कार्यकाल भत्ता	बरकरार रखा जाए। उपरि सीमाओं में 2.25 के गुणांक से वृद्धि की जाए।		स्वीकृत	
184	परीक्षण पायलट और उड़ान परीक्षण अभियंता भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर1एच3 के अनुसार किया जाए।			
185	प्रशिक्षण भन्ता	बरकरार रखा जाए। इसे 0.8 से गुणा करके युक्तिसंगत बनाया जाए। इसे कुछ और श्रेणियों पर भी लागू किया जाए। यह भत्ता पात्र कर्मचारी के लिए उसके संपूर्ण करियर के दौरान पांच वर्ष की अधिकतम अविध के लिए ही देय होगा।	कार्यकालों के बीच मानक उपशमन अवधि लागू होगी।		
186	प्रशिक्षण वजीका	समाप्त कर दिया जाए।		स्वीकृत	
187	परिवहन भत्ता	बरकरार रखा जाए। इसे युक्तिसंगत बनाया जाए।		स्वीकृत	
188	यात्रा भत्ता	बरकरार रखा जाए। युक्तिसंगत बनाया गया। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे।	होंगे। यात्रा पात्रताओं के 6 में मिला दिया ग	नेवल 6 से 8 हवाई लिए रक्षा बलों के या। को रेल मंत्रालय में ज	लेबल 5क को लेबल
189	कोषागार भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।		ते और कोषागार १ और दरों को इस	
			संभाली गई औसत मासिक रोकड़	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दरें	संशोधित दरें
			<= 5 লাজ	230-600	700
			5 लाख से अधिक	750-900	1000
190	जनजातीय क्षेत्र भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। दुर्गम स्थल भत्ता-III में शामिल कर दिया जाए। इसका भुगतान नव प्रस्तावित जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच3 के अनुसार किया जाए।		स्वीकृत	



(1)	(2)	(3)	(4)
191	भ्रमण भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
192	वर्दी भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए और इसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाए।	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत की गई हैं: निम्नलिखित श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न दरें: (i) विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) कार्मिक – इन्हें ऑपरेशनल और गैर-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्रमश: ₹27,800 और ₹21,225 प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। (ii) नर्सें – इन्हें ₹1800 प्रतिमाह की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।
193	इकाई प्रमाण पत्र एवं प्रभार प्रमाण पत्र भत्ता	बरकरार रखा जाए। 50% की वृद्धि की जाए।	स्वीकृत
194	सतर्कता भत्ता	समाप्त कर दिया जाए।	स्वीकृत
195	प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता	रिपोर्ट में शामिल नहीं।	ये दरें रेलवे बोर्ड और परिसंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तय की जाएंगी और वित्त मंत्रालय की सहमति से अधिसूचित की जाएंगी।
196	धुलाई भत्ता	पृथक् भत्ते के रूप में समाप्त किया जाए। इसे नव प्रस्तावित परिधान भत्ते में शामिल किया जाए।	नर्सों के संबंध में परिधान भत्ते में शामिल किया गया और नर्सों के लिए परिधान भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा गया।
197	रेलबे के लिए नए भत्ते: (i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर का भत्ता, और (ii) ट्रैक मेंटेनरों के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता	(i) विशेष ट्रेन कंट्रोलर भत्ता - सेक्शन कंट्रोलर और उप मुख्य कंट्रोलर को ₹5,000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। (ii) भारतीय रेल के ट्रैक मेंटेनर-I, II, III और IV को जोखिम एवं किठनाई मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर3एच2 के अनुसार जोखिम एवं किठनाई भत्ता दिया जाए (लेवल 8 और उससे नीचे के लिए ₹2700 और लेवल 9 और उससे उपर के लिए ₹3400)। अग्निशमन स्टॉफ के लिए नया भत्ता:	स्वीकृत
	अग्निशमन स्टॉफ के लिए नया भत्ता: (i) केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अग्निशमन स्टॉफ के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ता	(i) जोखिम एवं कठिनाई भत्ता मैट्रिक्स की कोष्ठिका आर2एच3 (लेवल 8 और उससे नीचे के लेवल के लिए ₹2700 और लेवल 9 तथा उससे ऊपर के लेवल के लिए ₹3400) के अनुसार जोखिम एवं कठिनाई भत्ता।	

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th July, 2017

No. 11-1/2016-IC.—The Seventh Central Pay Commission (the Commission) was set up by the Government of India vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 28th February, 2014. The period for submission of report by the Commission was extended upto 31st December, 2015 vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 8th September, 2015. The Commission, on 19th November, 2015, submitted its Report on the matters covered in its Terms of Reference as specified in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014.

- 2. The Government, vide Para 7 of the Resolution No. 1-2/2016- IC, dated 25th July, 2016, decided to refer the allowances (except Dearness Allowance) to the Committee on Allowances (the Committee). It was also decided that till a final decision on allowances is taken based on the recommendations of the Committee, all allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from 1st day of January, 2016.
- 3. The said Committee submitted its Report on 27th April, 2017. The Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission on allowances with 34 modifications as specified in **Appendix I.** The Statement showing the recommendations of the Commission on allowances and the Government's decision thereon is annexed at **Appendix II**.
- 4. Some of the allowances paid to the Indian Navy which are also paid to the Indian Coast Guard at present have not been mentioned in the Report of the Commission. The Government has decided that these allowances which are admissible to the Indian Navy shall also be paid to the Indian Coast Guard at par with the Indian Navy.
- 5. The rates in respect of 12 running allowances relating to the Ministry of Railways shall be notified by the Ministry of Railways with the concurrence of the Ministry of Finance.
- 6. The revised rates of allowances shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Ministries and/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union territories and all other concerned.

R. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Appendix I

List of allowances recommended by the Seventh Central Pay Commission (7th CPC) along with modifications as approved by the Government of India

(1)	(2)	(3)	(4)
S. No.	Name of the Allowance	Modifications accepted by the Government	
1.	Antarctica Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix	To be kept out of Risk and Hardship Matrix and to be paid on per day basis. Rates revised from ₹1125 per day to ₹1500 per day and from ₹1688 per day to ₹2000 per day in Summer and Winter respectively.
		•	Team Leader to get 10% extra @₹1650 per day and ₹2200 per day in Summer and Winter respectively



(1)	(2)	(3)		(4)		
2.	Breakdown Allowance	Abolished	Retained.			
			Existing Rates mult	tiplied by 2.25.		
			Rates revised from ₹270 – ₹675 per mo		per month to	
3.	Cash Handling Allowance	Abolished		ubsumed in Cash Handling and Trallowance and rates revised as under:		
					₹, per month)	
			Amount of average monthly cash handled	Sixth Central Pay Commission rates (6 th CPC)	Revised Rates	
			<= 5 lakh	230-600	700	
			Over 5 lakh	750-900	1000	
4.	Coal Pilot Allowance	Abolished	Retained.	<u></u>		
			Existing rates multi	iplied by 2.25.		
			Rates revised from trip and from ₹1: subsequent trip.			
5.	Cycle Allowance	Abolished	Retained.			
			Existing rates of ₹90 per month doubled to ₹ per month for Department of Posts and Railw			
	·		To be retained in where there is fur particular category Department of Exp	nctional justification of staff with the	tion for any	
6.	Daily Allowance	Retained. Rationalized. All provisions will apply to Railways personnel also.	Travelling Charges from 'Non-AC Tax taxi charges upto 5 above to be revised 50 km' to 'AC expenditure con engagements'.	ti charges up to 5 0 Kms.' and for l from 'AC Taxi taxi charges as	00 km to 'AC level 14 and charges up to	
			Existing system Ministry of Railwa		ance in the	
7.	Fixed Medical Allowance (FMA)	Retained. Status Quo to be maintained	Existing rate of ₹50 per month.	00 per month rev	ised to ₹1000	
8.	Fixed Monetary Compensation	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed	allowance.			
		by the newly proposed "Additional Post	Existing rates multiplied by 2.25.			
		Allowance"	Rates revised from ₹50 to ₹115 for full beat and from ₹24 to ₹54 for sharing a beat.			



(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Funeral Allowance	Abolished	Retained with change in nomenclature as 'Funeral Expense'. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹6000 to ₹9000.
10.	Holiday Compensatory Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by National Holiday Allowance	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing system to continue in Intelligence Bureau (IB) and Research and Analysis Wing (RAW).
11.	Hospital Patient Care Allowance (HPCA)/Patient Care Allowance (PCA)	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. HPCA and PCA are admissible to ministerial staff as well on the premise that the entire hospital area carries the risk of communicable diseases. This practice should be stopped and HPCA/PCA should be admissible to only those employees who come in continuous and routine contact with the patients.	Ministerial Staff to continue to get HPCA/PCA as per R1H3 (₹4100 for level 8 and below and ₹5300 for level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix
12.	House Rent Allowance (HRA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8	The recommendations of the 7th CPC is accepted with the following modifications: (ii) HRA shall not be less than ₹5,400 per month, ₹3,600 per month and ₹1,800 per month calculated @30% of minimum pay for X (population of 50 lakh & above), 20% for Y (5 to 50 lakh) and 10% for Z (below 5 lakh) category of cities. (ii) HRA shall be revised to 27%, 18% & 9% of Basic Pay in X,Y & Z cities when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further to 30%, 20% and 10% of Basic Pay in X, Y & Z cities when DA crosses 50%.
13.	Kit Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance	Subsumed in Dress Allowance for Special Protection Group (SPG) and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for SPG.
14.	Launch Campaign Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.



(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Nursing Allowance	Retained. Rationalized.	Existing rates multiplied by 1.5.
			Rates revised from ₹4800 per month to ₹7200 per month.
16.	Operation Theatre Allowance	Abolished	Retained.
			Existing rate multiplied by 1.5.
			Rates revised from ₹360 per month to ₹540 per month.
17.	Overtime Allowance (OTA)	Abolished except for operational staff and industrial employees	Ministries/Departments to prepare a list of those staff coming under the category of 'operational staff'.
		governed by statutory provisions.	Rates of Overtime Allowance not to be revised upwards.
18.	Professional Update Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories	This allowance to continue to be paid to non-gazetted staff of Department of Atomic Energy (DAE).
			Existing rate multiplied by 1.5.
			Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
19.	Qualification Grant	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed	7 th CPC recommendations accepted with the modifications that: (i) This will not include Tier – II
		Higher Qualification Incentive for Defence Personnel.	courses, and (ii) Courses will be reviewed by associating experts, including outside professionals and
		Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel	academicians by 31.12.2017.
20.	Ration Money Allowance (RMA)	Retained. Rationalized.	Provision of free ration for officers of Defence Forces shall be discontinued in peace areas.
		Provision of free rations and the grant of Ration Money Allowance to officers of Defence forces posted in peace areas should be withdrawn	RMA shall continue to be paid to officers of Defence Forces posted in peace areas. The cash shall be credited directly into the bank accounts of officers.
21.	Risk Allowance	Abolished	Retained.
			Existing rate multiplied by 2.25.
			Rates revised from ₹60 per month to ₹135 per month.
22.	Siachen Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and	Rates revised from: ₹31500 to ₹42500 per month for Level 9 and



(1)	(2)	(3)	(4)
		below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	₹21000 per month to ₹30000 per month for level 8 and below
23.	Space Technology Allowance	Abolished	Retained.
	•		Existing rate to be multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
24.	Special Appointment Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance". Granted to Central Armed Police Force Personnel holding special appointments	To include Assistant Sub Inspector (Radio Mechanic), Assistant Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic) in the list eligible for Extra Work Allowance @2% of Basic Pay per month with the conditions recommended by the 7 th CPC.
25.	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Tough Location Allowance (TLA) -I, II or III. Tough Location Allowance will not be admissible along with Special Duty Allowance.	7 th CPC recommendations that Tough Location Allowance (TLA) will not be admissible along with Special Duty Allowance (SDA) accepted subject to condition that employees be given the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA) at pre-revised rates under the 6 th CPC regime along with SDA at revised rates of 7 th CPC
26.	Special Duty Allowance (SDA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. SDA for All India Service (AIS) officers should be paid at the rate of 30 percent of Basic Pay and for other civilian employees at the rate of 10 percent of Basic Pay.	As per DoPT's OM No. 14017/4/2005-AIS (II) dated 10 th February, 2009, 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of All India Service (AIS) officers' is granted @25%. Special Duty Allowance (SDA) is granted @12.5%. Rationalized by a factor of 0.8. Both these allowances namely 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of AIS' and Special Duty Allowance (SDA shall continue to be paid separately as at present at the revised rates of 20% and 10% respectively.
27.	Special Incident/Investigation/Security Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Department of Revenue should assess the risk profile of the officials of the Enforcement Directorate (ED) at various levels and thereafter make a case to Ministry of	Special Security Allowance (SSA) for Special Protection Group (SPG) to be revised from 40% to 55% of Basic Pay for operational duties and from 20% to 27.5% of Basic Pay for non – operational duties. National Technical Research Organisation (NTRO) employees to be granted this allowance @20% of Basic Pay.



(1)	(2)	(3)	(4)
	·	Finance for grant of Risk and Hardship Allowance, if any, as per appropriate cell.	This allowance was granted to Enforcement Directorate as an ad – hoc measure with the approval of Department of Expenditure pending recommendations of the 7th CPC. Accordingly, this allowance to be withdrawn from ED with effect from 01.07.2017. As per recommendations of the 7th CPC, Department of Revenue to examine proposal or Risk & Hardship allowance for ED to make a case to Ministry of Finance for granting Risk and Hardship based allowance to ED officials, if any.
28.	Special Running Staff Allowance	Retained. Extended to some more categories	Name of the allowance to continue as 'Additional Allowance'.
29.	Technical Allowance	Tier-I of the Technical Allowance will continue to be paid on a monthly basis. Tier-II of the Technical Allowance as well as the	Existing system of Technical Allowance (Tier – I and II) to continue at ₹3000 per month and ₹4500 per month up to 31.03.2018. Courses of Technical Allowance (Tier –I and II) along with Qualification Grant (Higher
		Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel	Qualification Incentive for Defence Personnel) to be reviewed by associating experts, outside professionals and academicians in order to keep pace with changing defence requirements.
			Review of Courses to be completed before 31.12.2017.
			Technical Allowance (Tier – II) to continue beyond 31.03.2018 only after review of courses.
30.	Training Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Extended to some more categories. The allowance will be payable to an eligible employee for a maximum period of five years only during the entire career.	Ceiling of 5 years period to be removed. Standard cooling off period between tenures will apply.
31.	Travelling Allowance	Retained. Rationalized. Indian Railways to reconsider its position regarding air travel to its employees.	Level 6 to 8 of Pay Matrix to be entitled for Air travel. Level 5 A of Defence Forces to be clubbed with Level 6 for travelling entitlements. Existing system to continue in Ministry of Railways.
32.	Treasury Allowance	· Abolished	Subsumed in Cash Handling and Treasury Allowance and rates revised as under: (in ₹, per month) Amount of 6 th CPC Rates Revised Rates cash handled
			<= 5 lakh 230-600 700
			Over 5 lakh 750-900 1000

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Uniform Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance and to be paid annually.	7 th CPC recommendations accepted with following modifications: Different rates for the following categories:
			(i) Special Protection Group (SPG) personnel- to be paid annually @ ₹27,800 per annum and ₹21,225 per annum for operational and non – operational duties respectively.
			(ii) Nurses – to be paid monthly @₹1800 per month
			To be extended to all Check Points of Bureau of Immigration.
34.	Washing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance	Nurses and factored in for determining the

Appendix II Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Allowances and the Government's decision thereon

(1)	(2)	(3)	(4)	
Sl. No.	Name of the Allowance	Recommendations of 7 th CPC	Decision of the Government	
1	Accident Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance	
2	Acting Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance."	Accepted	
3	Aeronautical Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
4	Air Despatch Pay	Abolished.	Accepted	
5	Air Steward Allowance	Abolished.	Accepted	
6	Air Worthiness Certificate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
7	Allowance in Lieu of Kilometreage (ALK)	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance	
8	Allowance in Lieu of Running Room Facilities	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance	



(1)	(2)	(3)	(4)
9	Annual Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
10	Antarctica Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix	To be kept out of Risk and Hardship Matrix and to be paid on per day basis. Rates revised from ₹1125 per day to ₹1500 per day and from ₹1688 per day to ₹2000 per day in Summer and Winter respectively. Team Leader to get 10% extra @₹1650 per day and ₹2200 per day in Summer and Winter respectively
11	Assisting Cashier Allowance	Abolished.	Accepted
12	Accounts Stock Verifiers (ASV) Allowance	Abolished.	Accepted
13	Bad Climate Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
14	Bhutan Compensatory Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
15	Boiler Watch Keeping Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
16	Book Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
17	Breach of Rest Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance
18	Breakdown Allowance	Abolished	Retained. Existing Rates multiplied by 2.25. Rates revised from ₹120 - ₹300 per month to ₹270 - ₹675 per month
19	Briefcase Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
20	Camp Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Territorial Army Allowance.	Accepted

(1)	(2)	(3)		(4)	
21	Canteen Allowance	Retained. Enhanced by 50%.		Accepted	
22	Caretaking Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance"		Accepted	
23	Cash Handling Allowance	Abolished	Subsumed in Cash H and rates revised as un	der:	sury Allowance in ₹, per month)
			Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates
			<= 5 lakh	230-600	700
			Over 5 lakh	750-900	1000
24	Children Education Allowance (CEA)	Retained. Procedure of payment simplified.	Accepted.		
25	CI Ops Allowance	Retained. Rationalized.	-	Accepted	
26	Classification Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted		
27	Clothing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted.		
28	Coal Pilot Allowance	Abolished	Retained.		
			Existing rates multipli		
			Rates revised from ₹4 from ₹15 per trip to ₹3		
29	Command Battalion for Resolute Action (COBRA) Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.		Accepted	
30	Command Allowance	Abolished		Accepted	
31	Commando Allowance	Abolished		Accepted	
32	Commercial Allowance	Abolished		Accepted	



(1)	(2)	(3)	(4)
33	Compensation in Lieu of Quarters (CILQ)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for Persons Below Officers Rank (PBORs).	Accepted
34	Compensatory (Construction or Survey) Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
35	Composite Personal Maintenance Allowance (CPMA)	Retained. Rationalised. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
36	Condiment Allowance	Abolished.	Accepted
37	Constant Attendance Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
38	Conveyance Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
39	Cooking Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
40	Cost of Living Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
41	Court Allowance	Abolished.	Accepted
42	Cycle Allowance	Abolished	Retained. Existing rates of ₹90 per month doubled to ₹180 per month for Department of Posts and Railways. To be retained in other Ministries/Departments where there is functional justification for any particular category of staff with the approval of Department of Expenditure.

(1)	(2)	(3)	(4)
43	Daily Allowance	Retained. Rationalized. All provisions will apply to Railways personnel also.	Travelling Charges for Level -12 - 13 revised from 'Non-AC Taxi charges up to 50 km to 'AC taxi charges up to 50 Kms.' and for level 14 and above to be revised from 'AC Taxi charges up to 50 km' to 'AC taxi charges as per actual expenditure commensurate with official engagements'.
			Existing system of Daily allowance in the Ministry of Railways to continue.
44	Daily Allowance on Foreign Travel	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
45	Dearness Allowance (DA)	Retained. Status Quo to be maintained.	Not within the purview of the Committee.
46	Deputation (Duty) Allowance for Civilians	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
47	Deputation (Duty) Allowance for Defence Personnel	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
48	Desk Allowance	Abolished.	Accepted
49	Detachment Allowance	Retained. Rationalized. Enhanced by 50%.	Accepted
50	Diet Allowance	Abolished.	Accepted
51	Diving Allowance, Dip Money and Attendant Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
52	Dual Charge Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance".	Accepted
53	Educational Concession	Retained. Rationalized. Extended to some more categories.	Accepted
54	Electricity Allowance	Abolished.	Accepted
55	Entertainment Allowance for Cabinet Secretary	Abolished.	Accepted
56	Entertainment Allowance in Indian Railways	Abolished.	Accepted
57	Extra Duty Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted



(1)	(2)	(3)	(4)	
58	Family Accommodation Allowance (FAA)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for PBORs.	Accepted	
59	Family HRA Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted	
60	Family Planning Allowance	Abolished.	Accepted	
61	Field Area Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
62	Fixed Medical Allowance (FMA)	Retained. Status Quo to be maintained.	Existing rate of ₹500 per month revised to ₹1000 per month.	
63	Fixed Monetary Compensation	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Additional Post Allowance"	allowance. Existing rates multiplied by 2.25.	
64	Flag Station Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted	
65	Flight Charge Certificate Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted	
66	Flying Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted	
67	Flying Squad Allowance	Abolished.	Accepted	
68	Free Fall Jump Instructor Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted	

(1)	(2)	(3)	(4)	
69	Funeral Allowance	Abolished	Retained with change in nomenclature as 'Funeral Expense'. Existing rate multiplied by 1.5.	
			Rates revised from ₹6000 to ₹9000.	
70	Ghat Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance	
71	Good Service/Good Conduct/Badge Pay	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted	
72	Haircutting Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Composite Personal Maintenance Allowance.	Accepted	
73	Handicapped Allowance	Abolished.	Accepted	
74	Hard Area Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted	
75	Hardlying Money	Retained. Rationalised. Full Rate to be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.		
76	Headquarters Allowance	Abolished.	Accepted	
77	Health and Malaria Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted	
78	High Altitude Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
79	Higher Proficiency Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Language Award or Higher Qualification Incentive for Civilians.	Accepted	
80	Higher Qualification Incentive for Civilians	Retained. Rationalized.	Accepted	
81	Holiday Compensatory Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by National Holiday	Not to be subsumed and retained as a separate allowance. Existing system to continue in Intelligence Bureau (IB) and Research and Analysis Wing (RAW).	



(1)	(2)	(3)	(4)	
82	Holiday Monetary Compensation	Retained. Rationalized.	Accepted	
83	Hospital Patient Care Allowance (HPCA)/Patient Care Allowance (PCA)	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. HPCA and PCA are admissible to ministerial staff as well on the premise that the entire hospital area carries the risk of communicable diseases. This practice should be stopped and HPCA/PCA should be admissible to only those employees who come in continuous and routine contact		
84	House Rent Allowance (HRA)	with the patients. Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	The recommendations of the 7th CPC is accepted with the following modifications: (i) HRA shall not be less than ₹5,400 per month, ₹3,600 per month and ₹1,800 per month calculated @30% of minimum pay for X (population of 50 lakh & above), 20% for Y (5 to 50 lakh) and 10% for Z (below 5 lakh) category of cities. (ii) HRA shall be revised to 27%, 18% and 9% of Basic Pay in X,Y and Z cities when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further to 30%, 20% and 10% of Basic Pay in X, Y and Z cities when DA crosses 50%.	
85	Hutting Allowance	Abolished.	Accepted	
86	Hydrographic Survey Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
87	Initial Equipment Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted	
88	Instructional Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Training Allowance.	Accepted	

(1)	(2)	(3)	(4)
89	Internet Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted
90	Investigation Allowance	Abolished.	Accepted
91	Island Special Duty Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
92	Judge Advocate General Department Examination Award	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Higher Qualification Incentive for Defence Personnel.	Accepted
93	Kilometreage Allowance (KMA)	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.
94	Kit Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Subsumed in Dress Allowance for Special Protection Group (SPG) and factored in for determining the revised rates of Dress Allowance for SPG.
95	Language Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
96	Language Award	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
97	Language Reward and Allowance	Abolished.	Accepted
98	Launch Campaign Allowance	Abolished.	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
99	Leave Travel Concession (LTC)	Retained. Rationalized. One additional free railway warrant should be extended to all personnel of Central Armed Police Force (CAPFs) and the Indian Coast Guard mutatis mutandis.	The recommendations of the 7th CPC on LTC are accepted without any change. However, keeping in view the fact that Indian Navy personnel are not deployed for Field Duties, additional free Railway Warrant to Indian Coast Guard shall not be granted.
100	Library Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance".	Accepted



(1)	(2)	(3)	(4)	
101	MARCOS and Chariot Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted	
102	Medal Allowance	Retained.	Accepted	
103	Messing Allowance	Retained for "floating staff" under Fishery Survey of India, and enhanced by 50%. Abolished for Nursing Staff.	Accepted	
104	Metropolitan Allowance	Abolished.	Accepted	
105	Mileage Allowance for journeys by road	Retained.	Accepted	
106	Mobile Phone Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
107	Monetary Allowance attached to Gallantry Awards	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted	
108	National Holiday Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
109	Newspaper Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
110	Night Duty Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
111	Night Patrolling Allowance	Abolished.	Accepted.	
112	Non-Practicing Allowance (NPA)	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted	
113	Nuclear Research Plant Support Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
114	Nursing Allowance	Retained. Rationalized.	Existing rates multiplied by 1.5. Rates revised from ₹4800 per month to ₹7200 per month.	
115	Official Hospitality Grant in Defence forces	Abolished.	Accepted	
116	Officiating Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance	
117	Operation Theatre Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 1.5. Rates revised from ₹360 per month to ₹540 per month.	

193

(1)	(2)	(3)	(4)	
118	Orderly Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted	
119	Organization Special Pay	Abolished.	Accepted	
120	Out of Pocket Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by Daily Allowance on Foreign Travel.	Accepted	
121	Outfit Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted.	
122	Outstation (Detention) Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.	
123	Outstation (Relieving) Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.	
124	Out-turn Allowance	Abolished.	Accepted	
125	Overtime Allowance (OTA)	Abolished except for operational staff and industrial employees governed by statutory provisions.	f coming under the category of 'operational staff'. Rates of Overtime Allowance not to be revised upwar	
126	Para Allowances	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted	
127	Para Jump Instructor Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.		
128	Parliament Assistant Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
129	PCO Allowance	Retained. Rationalized.	Accepted	
130	Post Graduate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted	
131	Professional Update Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories	This allowance to continue to be paid to non-gazetted staff of Department of Atomic Energy (DAE). Existing rate multiplied by 1.5.	
			Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.	

(1)	(2)	(3)	(4)
132	Project Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
133	Qualification Allowance	Retained. Enhanced by 50%. Extended to some more categories.	Accepted
134	Qualification Grant	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Higher Qualification Incentive for Defence Personnel. Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification	7th CPC recommendations accepted with the modifications that- (i) this will not include Tier – II courses, and (ii) courses will be reviewed by associating experts, including outside professionals and academicians by 31.12.2017.
135	Qualification Pay	Incentive for Defence Personnel Retained. Enhanced by a	Accepted
		factor of 2.25.	
136	Rajbhasha Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance"	Accepted
137	Rajdhani Allowance	Abolished.	Accepted
138	Ration Money Allowance	Retained. Rationalized. Provision of free rations and the grant of Ration Money Allowance to officers of Defence forces posted in peace areas should be withdrawn	Provision of free ration for officers of Defence Forces shall be discontinued in peace areas. Ration Money Allowance shall continue to be paid to officers of Defence Forces posted in peace areas. The cash shall be credited directly into the bank accounts of officers.
139	Refreshment Allowance	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted

_				
140	Rent Free Accommodation	Abolished.	Accepted	
141	Reward for Meritorious Service	Retained. Enhanced by a factor of 2.25.	Accepted	
142	Risk Allowance	Abolished	Retained. Existing rate multiplied by 2.25. Rates revised from ₹60 per month to ₹135 per month.	
143	Robe Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted	
144	Robe Maintenance Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted	
145	Savings Bank Allowance	Abolished.	Accepted	
146	Sea Going Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R2H2 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.		
147	Secret Allowance	Abolished.	Accepted	
148	Shoe Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Accepted	
149	Shorthand Allowance	Abolished.	Accepted	
150	Shunting Allowance	Not included in the report.		
151	Siachen Allowance	Retained. Rationalised. To be paid at ₹31500 for Level 9 and above and ₹21000 for Level 8 and below as per Cell RH-Max of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Rates revised from: ₹31500 to ₹42500 per month for Level 9 and above, and ₹21000 per month to ₹30000 per month for level 8 and below	



190

(1)	(2)	(3)	(4)
152	Single in Lieu of Quarters (SNLQ)	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed provisions for Housing for PBORs.	Accepted
153	Soap Toilet Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Composite Personal Maintenance Allowance.	Accepted
154	Space Technology Allowance	Abolished.	Retained. Existing rate to be multiplied by 1.5. Rates revised from ₹7500 per annum to ₹11250 per annum.
155	Special Allowance for Child Care for Women with Disabilities	Retained. Enhanced by 100%.	Accepted
156	Special Allowance to Chief Safety Officers/Safety Officers	Retained. Rationalized by a factor of 0.8.	Accepted
157	Special Appointment Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance". Granted to CAPF Personnel holding special appointments	To include Assistant Sub Inspector (Radio Mechanic), Assistant Sub Inspector (Radio Operator) and Sub Inspector (Radio Mechanic) in the list eligible for Extra Work Allowance @2% of Basic Pay per month with the conditions recommended by the 7th CPC.
158	Special Compensatory (Hill Area) Allowance	Abolished.	Accepted
159	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance	Abolished as a separate allowance. Eligible employees to be governed by the newly proposed Tough Location Allowance (TLA) - I, II or III.	7 th CPC recommendations that Tough Location Allowance (TLA) will not be admissible along with Special Duty Allowance (SDA) accepted subject to condition that employees be given the additional option to avail of the benefit of Special Compensatory (Remote Locality) Allowance (SCRLA) at pre-revised rates under the 6 th CPC regime along with SDA at revised rates of 7 th CPC
		Tough Location Allowance will not be admissible along with Special Duty Allowance.	

(1)	(2)	(3)	(4)
160	Special Department of Telecom (DOT) Pay	Abolished.	Accepted
161	Special Duty Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. SDA for AIS officers should be paid at the rate of 30 per cent of Basic Pay and for other civilian employees at the rate of 10 per cent of Basic Pay.	As per DoPT's OM No. 14017/4/2005-AIS (II) dated 10 th February, 2009, 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of All India Service (AIS) officers' is granted @25%. Special Duty Allowance (SDA) is granted @12.5%. Rationalized by a factor of 0.8. Both these allowances namely 'Special Allowance for Officers belonging to North – East Cadres of AIS' and Special Duty Allowance (SDA shall continue to be paid separately as at present at the revised rates of 20% and 10% respectively.
162	Special Forces Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
163	Special Incident/Investigation/Security Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Department of Revenue should assess the risk profile of the officials of the Enforcement Directorate (ED) at various levels and thereafter make a case to Ministry of Finance for grant of Risk and Hardship Allowance, if any, as per appropriate cell.	Special Security Allowance (SSA) for Special Protection Group (SPG) to be revised from 40% to 55% of Basic Pay for operational duties and from 20% to 27.5% of Basic Pay for non – operational duties. National Technical Research Organisation (NTRO) employees to be granted this allowance @20% of Basic Pay. This allowance was granted to Enforcement Directorate as an ad – hoc measure with the approval of Department of Expenditure pending recommendations of the 7th CPC. Accordingly, this allowance to be withdrawn from ED with effect from 01.07.2017. As per recommendations of the 7th CPC, D/o Revenue to examine proposal for Risk & Hardship allowance for ED to make a case to Ministry of Finance for granting Risk & Hardship based allowance to ED officials, if any.
164	Special Level Crossing (LC) Gate Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
165	Special National Crime Records Bureau (NCRB) Pay	Abolished.	Accepted
166	Special Running Staff Allowance	Retained. Extended to some more categories.	Name of the allowance to continue as 'Additional Allowance'.
167	Special Scientists' Pay	Abolished.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
168	Specialist Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
169	Spectacle Allowance	Abolished.	Accepted
170	Split Duty Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted
171	Study Allowance	Abolished.	Accepted
172	Submarine Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
173	Submarine Duty Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H1 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix, on a pro-rata basis.	Accepted
174	Submarine Technical Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix. Extended to some more categories.	Accepted
175	Subsistence Allowance	Retained. Status Quo to be maintained.	Accepted
176	Sumptuary Allowance in Training Establishments	Abolished.	Accepted
177	Sumptuary Allowance to Judicial Officers in Supreme Court Registry	Abolished.	Accepted
178	Sunderban Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
179	TA Bounty	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Territorial Army Allowance.	Accepted
180	TA for Retiring Employees	Retained. Rationalized.	Accepted
181	TA on Transfer	Retained. Rationalized.	Accepted

(1)	(2)	(3)	(4)
182	Technical Allowance	Tier-I of the Technical Allowance will continue to be paid on a monthly basis. Tier-II of the Technical Allowance as well as the Qualification Grant will be merged into Higher Qualification Incentive for Defence Personnel	Existing system of Technical Allowance (Tier – I and II) to continue at ₹3000 per month and ₹4500 per month up to 31.03.2018. Courses of Technical Allowance (Tier –I and II) along with Qualification Grant (Higher Qualification Incentive for Defence Personnel) to be reviewed by associating experts, outside professionals and academicians in order to keep pace with changing defence requirements. Review of Courses to be completed before 31.12.2017. Technical Allowance (Tier – II) to continue beyond 31.03.2018 only after review of courses.
183	Tenure Allowance	Retained. Ceilings enhanced by 2.25.	Accepted
184	Test Pilot and Flight Test Engineer Allowance	Retained. Rationalised. To be paid as per Cell R1H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted
185	Training Allowance	Retained. Rationalized by a factor of 0.8. Extended to some more categories. The allowance will be payable to an eligible employee for a maximum period of five years only during the entire career.	Ceiling of 5 years period to be removed. Standard cooling off period between tenures will apply.
186	Training Stipend	Abolished.	Accepted
187	Transport Allowance (TPTA)	Retained. Rationalized.	Accepted.
188	Travelling Allowance	Retained. Rationalized. Indian Railways to reconsider its position regarding air travel to its employees.	Level 6 to 8 of Pay Matrix to be entitled for Air travel. Level 5 A of Defence Forces to be clubbed with Level 6 for travelling entitlements. Existing system to continue in Ministry of Railways.

(1)	(2)	(3)	(4)		
189	Treasury Allowance	Abolished	Subsumed in Cash Handling and Treand rates revised as under:		y Allowance ₹, per month)
			Amount of average monthly cash handled	6 th CPC rates	Revised Rates
			<= 5 lakh	230-600	700
			Over 5 lakh	750-900	1000
190	Tribal Area Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in Tough Location Allowance-III. To be paid as per Cell R3H3 of the newly proposed Risk and Hardship Matrix.	Accepted		
191	Trip Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance.		s and to be
192	Uniform Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance and to be paid annually.	modifications: Different rates for the following categories: (i) Special Protection Group (SPG) personnel- to be parannually @ ₹27,800 per annum and ₹21,225 per annum		: nel- to be paid 25 per annum ional duties per month
193	Unit Certificate and Charge Certificate Allowance	Retained. Enhanced by 50%.	Accepted		
194	Vigilance Allowance	Abolished.	Accepted		
195	Waiting Duty Allowance	Not included in the report.	Rates to be decided through bi-lateral discussion between Railway Board and Federations and to be notified with the concurrence of Ministry of Finance		s and to be
196	Washing Allowance	Abolished as a separate allowance. Subsumed in the newly proposed Dress Allowance.	Subsumed in Dress Allowance in respect of Nurses an factored in for determining the revised rates of Dres Allowance for Nurses.		



(1)	(2)	(3)	(4)
197	New Allowances for Railways:	New Allowances for Railways:	Accepted
	(i) Special Train Controller's Allowance, and	(i) Special Train Controller's Allowance -to be paid	
	(ii) Risk and Hardship Allowance for Track Maintainers	@₹5,000 per month to Section Controllers and Dy. Chief Controllers	
	New Allowance for Fire-fighting Staff: (i) Risk and Hardship Allowance for Fire-fighting staff of Central Government & UTs	(ii) Track Maintainers — I, II, III and IV of Indian Railways to be granted Risk and Hardship Allowance as per cell R3H2 (₹2700 for Level 8 and below and ₹3400 for Level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix New Allowance for	
		(i) Risk and Hardship Allowance as per cell R2H3 (₹2700 for Level 8 and below and ₹3400 for Level 9 and above) of Risk and Hardship Matrix	